

कार्यालय-निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

-: आदेश :-

विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा संयुक्त राष्ट्र द्वारा कोरोना संक्रमण को महामारी घोषित करने तथा केन्द्र सरकार की ओर से जारी की गई एडवाइजरी के क्रम में माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा कोरोना संक्रमण की स्थिति की समीक्षा बैठक में लिए गए निर्णय के क्रम में निर्देशित किया जाता है कि दिनांक - 30 मार्च, 2020 तक राज्य के समस्त राजकीय एवं मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय, समस्त कोचिंग संस्थान, मदरसे एवं अन्य समस्त प्रकार के शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे।

इस अवधि के दौरान चल रही समस्त प्रकार की कक्षा- 5, 8 की परीक्षाएं एवं कक्षा - 10 एवं 12 की बोर्ड परीक्षाएं पूर्व निर्धारित कार्यक्रमानुसार यथावत संचालित होगी। गैर सरकारी विद्यालयों की बोर्ड के अलावा समस्त परीक्षाएं 30 मार्च, 2020 के पश्चात संचालित होगी।

इस अवधि के दौरान संस्था प्रधान एवं स्टाफ आवश्यक ऐहतियात बरतते हुए विद्यालय में उपस्थित रहकर बोर्ड सम्बन्धी एवं शाला सम्बन्धी आवश्यक कार्य सम्पादित करेंगे।

समस्त सम्बन्धित उपयुक्तानुसार पालना सुनिश्चित करें।

www.rajteachers.com



(सौरम स्वामी)
आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर
दिनांक :14.03.2020

क्रमांक:-शिविरा/माध्य/मा-स/विविध दिवस/2018/198

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. आयुक्त, स्कूल शिक्षा एवं राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद सह विशिष्ट शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
4. राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा अभियान एवं अतिरिक्त आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
5. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा एवं पंचायती राज (प्रारम्भिक शिक्षा), राजस्थान, बीकानेर।
6. सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।
7. निदेशक, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, उदयपुर।
8. निदेशक, शैक्षिक प्रौद्योगिकी विभाग (ई.टी.सैल), राजस्थान, अजमेर।
9. समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।
10. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान।
11. उप निदेशक (खेलकुद अनुभाग), कार्यालय हाजा।
12. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
13. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) - माध्यमिक/प्रारम्भिक।
14. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं ब्लॉक संदर्भ केन्द्र प्रभारी, समग्र शिक्षा अभियान।
15. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान, बीकानेर/अजमेर।
16. प्रधानाचार्य, सादुल स्पोर्ट्स स्कूल, बीकानेर।
17. प्रधानाचार्य, राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, जोधपुर।
18. स्टाफ ऑफिसर, कार्यालय हाजा।
19. रक्षित पत्रावली।


निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर